रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062021-227745
CG-DL-E-21062021-227745

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2236]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943
No. 2236]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISTHA 28, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

का.आ. 2408(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य मेघालय के दक्षिण गरो पहाड़ी जिले में स्थित है और 0.027 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को आच्छादित करके बाघमारा नगर क्षेत्र में स्थित है। अभयारण्य का नाम अभयारण्य और पिचर प्लांट (नेपेंथेस

खासियाना) जो दुर्लभ कीटनाशक पौधा है और जो कि अभयारण्य में सुरक्षित और संरक्षित है, की अवस्थिति के आधार पर रखा गया है। क्षेत्र 1984 में मेघालय सरकार की अधिसूचना सं. एफ ओ आर 79/84/5 दिनांक 24 मई, 1984 द्वारा अभयारण्य घोषित किया गया। अभयारण्य 25'11.00" उ और 90.38.00 पू" में स्थित है और उत्तर में लगभग 450 मीटर की दूरी में लोक निर्माण विभाग (पी डब्ल्यू डी) सड़क और विर्विंग स्कूल मैदान से घिरा हुआ है और पूर्वी भाग में यह लगभग 135 मीटर में बाघमारा पुलिस स्टेशन से घिरा हुआ है। दक्षिणी भाग लगभग 373 मीटर में कैथोलिक मिशन मैदान से घिरा हुआ है;

और, बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य की वनस्पति और जीवजंतु समृद्ध जैविक महत्त्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और क्षेत्र पिचर प्लांट (नेपेंथेस खासियाना) प्रजाति से बहुत समृद्ध है जिसके पारिस्थितिकी और औषधीय महत्त्व है। पिचर प्लांट के अलावा अभयारण्य में कई स्थानिक वनस्पति और जीवजंतु पाए जाते हैं। वास्तव में, क्षेत्र में स्थानिकता का उच्च स्तर है और स्थानिक प्रजातियां पिचर प्लांट (नेपेंथेस खासियाना) और ड्रोसेरा स्पा. आदि है; अभयारण्य की मुख्य वनस्पति नाहर *(मेसुया फेर्रेया)*, स्पाइक ओक *(लिथोकार्पुस इलेगांस)*, सिरीस ट्री (*अलबिजिया स्टिपुलाटा)*, अरताकी (*टेर्मिनलिया चेबुला)*, ओदाल (*स्टेरकुलिया विल्लोसा)*, कुम (*कैर्रया आर्बोरिया*), डुतकुरी (*वरिघटिया टोमेंटोसा)*,जरूल (*लेगरस्ट्रोमिया परविफ्लोरा)*, वरूना (*करेटेवा नुरवाला)*, लकौचा (*अर्टोकार्पुस लाकुचा)*, वाइल्ड जाम (*सिजिगियम स्पा)*, अखातारू (*सपियम बक्कातुम)*, डेविल ट्री *(अल्स्टोनिया स्कोलारिस)*, परोली (*स्टेरेओपेरमुंचेलेनोइड्स)*, बोहेरा (*टेरमिनालिया बेलारिका)*, ड्रोपिंग फिग (*फिकस कुनिया)*, मिक्रोकोस (*मिक्रोकोस पानिकुलाटा)*, जावा पल्म (*सीजियम कुमिनी)*, अरानी (*परेम्ना लतीफोलिया)*, लार्ज लेफ रोसेमल्लोव (*हिबिकुस मक्रोफयल्लुस)*, मकरांगा (*मकरांगा टनारीउस)*, फिकस स्पा.(*फिकस बेन्जामिना)*, *स्किज़ोस्तचीयम स्पा. (स्चीजोस्टाचियम डुल्लोया)*, साल ट्री (*सोरेया रोबुस्टा)*, टोना (*टोना किलिअटा)*, चापलासा (*एरटोकार्पुस चापलासा)*, डुअबांगा (*डुअबांगा ग्राडिफ्लोरा)*, गिया पोमा (*लेनेया ग्रांडिस)*, *अमलोकी (एफयल्लांथुस इम्बलिका)*, डिमिरी ट्री (*फिकस राकेमोसा)*, कदम *(एंथोकेफलुस कदम्बा)*, ऑक्सी (*डिलेनिया पेंटाग्यना)*, मुगा ट्री (*लिटसेया पोलयेंटा)*, *किम्बल (कलिकार्पा अरबोरेया)*, रात (*अमूरा वालिचि)*, कोरोमंडेल (*गरसिनिया कोवा)*, बेतगिला *(ओरोक्यलुम इंडिकम)*, आदि हैं;

और, बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य में स्तनधारियों जैसे लार्ज ब्राउन फ्लांइग गिलहरी *(पेटेउरिस्टा फिलिपेंसिस)*, हेडगे हॉग (*हेमिइचिनस ऑरिटस)*, तेंदुआ बिल्ली (*फेलिस बेगालेंसिस)*, साल (*मानिस क्रैसिकाउडाटा*), स्लो लोरिस (*न्यक्तिसेबुस कौसांग)*, अस्सामेसे मकाक *(मकाका अस्सामेंसिस)*, रीसस मकाक (*मकाका मुलाटा)*, छोटा भारतीय सिवेट (*विवेर्रिकुला इंडिका)*, एशियाटिक ब्रुश टेल्ड साही (*एथेरूरूस मकरोउरूस)*, सामान्य ओट्टेर (*लुतरा लुतरा)*, लार्ज भारतीय सिवेट (*विवेर्रा जिबेथा)*, मालायन विशाल गिलहरी (*रतुफा बिकोलोर)*, आदि की विविध प्रजातियां भी पाई जाती हैं;

और, बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य पक्षी प्रजातियों की विविधता जैसे भारतीय रिंग कबूतर (*स्ट्रेप्टोपेलिया कलिनेंसिया)*, स्पोट्टेड कबूतर (*स्टेरेप्टोपेलिया डेकोओक्टो)*, सामान्य टील (*अनास करेक्का)*, वुड पेक्कर (पिकिडेया*)*, पिजन बत्तख (*अनास पेनेलोप)*, बैर पोचार्ड (*अयथया बैइरी)*, सामान्य किंगफिशर (अल्केडो अथिस*)*, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल (स्पिलोरनिस चैलाड*)*, हिल मैना *(गराकुला रेलिगिओसा)*, रेड क्रेस्टेड बुलबुल (*पयक्नोनोटस जोकोसुस)*, ग्रेटर रॉकेट टेल्ड ड्रोंगो (*डीकरूरूस पाराडीसेउस)*, *पर्पल वुड* कबूतर (कुलुम्बा पुनिकेउस*)*, होपे (*उपुपा स्पा.)*,ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल (*पयक्नोंटस गुलारिस)*, आदि का भी वास स्थल है; जबकि अभयारण्य में मुख्य सरीसृपों येल्लो मॉनिटर छिपकली लिजार्ड (*वारानुस फलावेस्केनेस)*, बेंगाल मॉनीटर लिजार्ड (*वारानुस बेंगनालेसिस)*,वाटर लिजार्ड (*वारानुस सलवाटोर)*, किंग कोबरा (*ओफिफगुस हन्ना)*, बेंडेड करैत (*बुंगारूस फस्किअटस)*, ग्रीन वाइपर *(ट्रिमेरेसुरस ग्रामिनेउस)*, सामान्य करैत (*बुंगारूस कैरूलेंस)*, रेट स्नेक (*पटयास मुकोसा)*, सामान्य वर्म स्नेक और ब्लाइंड स्नेक (*टायफोलोपस ब्रामिनस)*, डाअरड ब्लाइंड स्नेक *(टायफोलोपस डाइडिर)*,गेक्को (*गेक्को गेक्को)*, ब्लाइंड स्नेक (*टायफोलोपस ब्रामिनस)*, आदि पाए जाते हैं;

और, बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1)तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, मेघालय राज्य के दक्षिण गरो पहाड़ी जिला में बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.2 मीटर से 857 मीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.2 मीटर से 857 मीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 0.2225 वर्ग किलोमीटर है। राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन का न्यूनतम विस्तार उचित ठहराया गया था कि 'अभयारण्य बाघमारा शहर के केंद्र में स्थित है, यह मानव वास और बागवानी बागानों से घिरा हुआ है और अत:, यहां अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की स्थापना के लिए शायद ही अन्य क्षेत्र है।'

(2) बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य के मानचित्र **अनुलग्नक –IIक** और **अनुलग्नक-IIख** के रूप में संलग्न है।

(4) बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक –III** की सारणी **क** और **ख** में दी गई है।

(5) बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि; और

(viii) मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और योजना में मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देते हुए मानचित्रों को भी दर्शाया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय.**- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हों।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शोधित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात.**- वाहन-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहन-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.**- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.**- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 द्वारा जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	**क्रियाकलाप** (2)	**टिप्पणी** (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।

5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अशोधित बहिस्रावों का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा ।
7.	दुकानदार द्वारा पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो की स्थापना अनुमत नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
11.	निर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए निर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित निर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु पैमाने के उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।

14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बानाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
22.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक का निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारीगरों सहित कुटीर उद्योग आदि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	अवक्रमित भूमि या वनों या पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत इस अधिसूचना उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीय सरकार, निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति का गठन करती है, अर्थात्:-

क्र.सं.	**निगरानी समिति का गठन**	**पद**
(i)	वन संरक्षक (प्रादेशिक और वन्यजीव), गरो पहाड़ी क्षेत्र, तुरा	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	मुख्य वन अधिकारी, गरो पहाड़ी स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी)	सदस्य;
(iii)	संबंधित राजस्व विभाग, गरो पहाड़ी जिले के एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए मेघालय सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र (विरासत संरक्षण सहित) में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए मेघालय सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	कार्यकारी अभियंता, मेघालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vii)	निदेशक, बलपकरम राष्ट्रीय उद्यान, बाघमारा	सदस्य–सचिव

6.विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक होगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(3) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के

अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएंगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक IV में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/12/2020-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक- I

मेघालय राज्य में बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: लगभग 450 मीटर की दूरी तक पी डब्ल्यू डी की सीमा और वीविंग स्कूल कंपाउण्ड के समानान्तर है।

पूर्व: लगभग 135 मीटर लम्बाई में बाघमारा पुलिस स्टेशन की सीमा के समानान्तर है।

पश्चिम: लगभग 95 मीटर सीमांकित रेखा।

दक्षिण: लगभग 373 मीटर तक कैथोलिक मिशन कंपाउण्ड की सीमा के समानान्तर है।

उत्तर: पिचर प्लांट अभयारण्य की उत्तरी सीमा बाजार सड़क के मध्य से 20 मीटर 25°11'54.54"उ 90°38'32.38"पू में स्टेशन सं.20 से आरंभ होती है और यह 25°11'54.50"उ 90°38'32.21"पू में स्टेशन सं. 21, 25°11'55.31"उ 90°38'31.60"पू में स्टेशन सं.22, 25°11'55.31"उ 90°38'31.31"पू में स्टेशन सं. 23, कच्चा मकान के निकट 25°11'55.67"उ 90°38'30.51"पू में स्टेशन सं.24, 25°11'56.29"उ 90°38'29.25"पू में स्टेशन सं.25, 2525°11'56.58"उ 90°38'28.16"पू में स्टेशन सं. 26, 25°11'56.89"उ 90°38'27.76"पू में स्टेशन सं 27, 25°11'56.80"उ 90°38'27.59"पू में स्टेशन सं. 28, असम प्रकार के मकान के निकट 25°11'57.03"उ 90°38'25.25"पू में स्टेशन सं. 29 विविंग स्कूल के निकट मेन गेट 25°11'56.88"उ 90°38'24.29"पू में स्टेशन सं. 30 से होते हुए ब्रिक दीवार के साथ उत्तर की ओर जाती है, इसके बाद 31 at 25°11'56.80"उ 90°38'23.82"पू, में स्टेशन सं. 31 25°11'57.33"उ 90°38'21.92"पू, में स्टेशन सं. 32 25°11'57.64"उ 90°38'21.55"पू, में स्टेशन सं. 33 25°11'58.06"उ 90°38'20.80"पू, में स्टेशन सं. 34 25°11'58.57"उ 90°38'19.49"पू, में स्टेशन सं. 35 कच्चे घर के निकट से होते हुए ब्रिक दीवार के साथ जाती है और 25°11'58.91"उ 90°38'19.13"पू, में स्टेशन सं.01 25°11'59.88"उ 90°38'18.37"पू में स्टेशन सं.02 तक कच्चे घर से 20 मीटर दूरी में मिलती है।

दक्षिण: यह 25°11'56.95"उ 90°38'19.04"पू में स्टेशन सं. 07 से आरंभ होती है यह 25°11'56.28"उ 90°38'21.42"पू में स्टेशन सं. 08, 25°11'55.62"उ 90°38'22.74"पू में स्टेशन सं.09, 25°11'54.76"उ 90°38'23.49"पू में 10 पर्यटन आई बी के निकट, 25°11'53.50"उ 90°38'24.77"पू में स्टेशन सं.11 तक होते हुए विद्यमान कंटीले तार सीमा के साथ घिरा हुआ है, इसके बाद यह 25°11'52.87"उ 90°38'26.98"पू में स्टेशन सं. 12, 25°11'51.41"उ 90°38'29.64"पू में स्टेशन सं.13 पुश्ता दीवार तक होते हुए ईट दीवार के साथ नीचे की ओर जाती है और 25°11'51.49"उ 90°38'30.71"पू में स्टेशन सं.14 में मिलती है

पूर्व: यह 25°11'51.49"उ 90°38'30.71"पू में स्टेशन सं.14 पुश्ता-दीवार से आरंभ होती है और यह 25°11'51.77"उ 90°38'31.22"पू में स्टेशन सं. 15, 25°11'52.28"उ 90°38'31.29"पू में स्टेशन सं.16, 25°11'53.30"उ 90°38'31.97"पू में स्टेशन सं.17, 25°11'53.69"उ 90°38'32.43"पू में स्टेशन सं.18, 25°11'54.21"उ 90°38'32.55"पू में स्टेशन सं.19 से होते हुए विद्यमान कंटीले तार सीमा के साथ नीचे की ओर घिरा हुआ है और 25°11'54.54"उ 90°38'32.38"पू में स्टेशन सं.20 में मिलती है।

पश्चिम: यह 25°11'59.88"उ 90°38'18.37"पू में स्टेशन सं.02 से आरंभ होती है यह 25°11'59.80"उ 90°38'18.26"पू, में स्टेशन सं. 03, 25°11'59.45"उ 90°38'18.16"पू, में स्टेशन सं.04, 25°11'57.65"उ 90°38'18.75"पू, में स्टेशन सं. 5, 25°11'57.18"उ 90°38'18.81"पू में स्टेशन सं. 06 से होते हुए विद्यमान सीमा के साथ जाती है और 25°11'56.95"उ 90°38'19.04"पू में स्टेशन सं.07 में मिलती है।

मेघालय राज्य में बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: यह सड़क के मध्य से लगभग 30 मीटर पुराने एस पी कार्यालय के निकट से आरंभ होती है और एनएच-217 की सीमा, बाघमारा बाजार बाघमारा तूरा और बाघमारा दूदनोई सड़क के त्रि-जंक्शन तक बाघमारा बाजार सड़क के साथ जाती है। इसके बाद यह बाघमारा तूरा और खंड सड़क के जंक्शन तक एन एच 217 बाघमारा-तूरा सड़क के साथ जाती है।

पूर्व: पुराने एस. पी. कार्यालय के निकट से यह बी एस एफ कैम्प तक एन एच-217 बाघमारा बाजार सड़क के मध्य से 30 मीटर की ओर बाघमारा बाजार सड़क जाती है और इसके बाद यहां से यह लगभग 20 मीटर तक पश्चिम की ओर बाघमारा आर एफ सीमा जाती है।

दक्षिण- बिंदु सं. 48 से यह पर्यटन लॉज की सीमा तक लगभग **664 मीटर** बाघमारा आर.एफ की विद्यमान सीमा के साथ तक पश्चिम की ओर जाती है और इसके बाद यह लगभग **192 मीटर** के लिए सड़क के मध्य से 15 मीटर पर्यटन सड़क के साथ जाती है और इसके बाद लगभग **1,056 मीटर** के लिए रोमन कैथोलिक सड़क जाती है।

पश्चिम: स्टेशन सं.17 से यह लगभग **15 मीटर** और ब्लॉक सड़क के लिए आर.सी. सड़क के साथ जाती है, इसके बाद लगभग **343 मीटर** एन एच-217 और ब्लॉक सड़क के जंक्शन जाती है।

उत्तर: प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा पुराने एस पी कार्यालय के निकट 25°11'56.444"उ 90°38'29.270"पू में स्टेशन सं. 51 से आरंभ होती है और इसके बाद सड़क के मध्य से 30 मीटर यह वाहन दुकान के निकट 25°12'00.655"उ 90°38'20.270"पू में स्टेशन सं. 52 से प्रतीक्षा कक्ष के निकट 25°12'00.939"उ 90°38'18.482"पू में स्टेशन सं.1 तक एन.एच-217 बाघमारा बाजार सड़क के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और इसके बाद सड़क के मध्य से 30 मीटर यह 25°11'56.991"उ 90°38'16.268"पू में स्टेशन सं.2, 25°11'54.098"उ 90°38'12.760"पू में स्टेशन सं.3, 25°11'54.037"उ 90°38'10.761"पू में स्टेशन सं.4, के पश्चिम की ओर 25°11'53.471"उ 90°38'8.351"पू में स्टेशन सं.5, 25°11'53.908"उ 90°38'05.791"पू में स्टेशन सं. 6, 25°11'53.367"उ 90°38'02.848"पू में स्टेशन सं.7, 25°11'53.497"उ 90°38'01.580"पू में स्टेशन सं. 8, 25°11'53.126"उ 90°38'00.548"पू में स्टेशन सं. 9 से एन एच 217 बाघमारा तूरा सड़क के साथ दक्षिण –पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25°11'48.516"उ 90°37'58.111"पू में स्टेशन सं. 10, 25°11'47.973"उ 90°37'56.156"पू में स्टेशन सं.11 तक दक्षिण–पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25°11'53.147"उ 90°37'54.689"पू में स्टेशन सं 12 के उत्तर की ओर जाती है और इसके बाद एन-एच -217 और सी.डी ब्लॉक सड़क के जंक्शन में 25°11'52.380"उ 90°37'53.457"पू में स्टेशन सं. 13 के दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है।

दक्षिण : यह 25°11'42.719"उ 90°37'55.955"पू में स्टेशन सं.17 और सड़क के मध्य से 15 मीटर से आरंभ होती है यह 25°11'43.247"उ 90°37'56.870"पू में स्टेशन सं.18 से उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर आर.सी. मैदान सड़क के साथ जाती है, इसके बाद 25°11'42.199"उ 90°37'57.651"पू में स्टेशन सं. 10 के दक्षिण की ओर 25°11'42.518"उ 90°37'59.233"पू में स्टेशन सं. 20 के पूर्व की ओर 25°11'42.620"उ 90°38'01.424"पू में स्टेशन सं. 21, इसके बाद 25°11'44.787"उ 90°37'59.889"पू में स्टेशन सं. 22 के उत्तर की ओर, 25°11'45.324"उ 90°38'01.288"पू में स्टेशन सं. 23, 25°11'49.624"उ 90°38'04.221"पू में स्टेशन सं. 24, इसके बाद 25°11'49.209"उ 90°38'06.519"पू में स्टेशन सं.25 के पूर्वी दिशा की ओर 25°11'50.259"उ 90°38'09.353"पू में स्टेशन सं. 26, 25°11'49.132"उ 90°38'14.874"पू में स्टेशन

सं.27, 25°11'49.949"उ 90°38'16.474"पू में स्टेशन सं.28, 25°11'49.384"उ 90°38'18.290"पू में स्टेशन सं.29, इसके बाद 25°11'48.494"उ 90°38'18.334"पू में स्टेशन सं.30 के दक्षिणी की ओर और इसके बाद 25°11'46.746"उ 90°38'21.379"पू में स्टेशन सं.31 के दक्षिणी-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25°11'47.828"उ 90°38'22.432"पू में स्टेशन सं.31 से स्टेशन सं.32 तक उसी सड़क के साथ उत्तर- पूर्वी दिशा की ओर, 25°11'48.587"उ 90°38'21.957"पू में स्टेशन सं.33, 25°11'49.692"उ 90°38'22.287"पू में स्टेशन सं. 34, 25°11'50.381"उ 90°38'23.557"पू में स्टेशन सं. 35 की ओर जाती है, यह पर्यटन सड़क के मध्य से 15 मीटर और इसके बाद 25°11'50.381"उ 90°38'23.557"पू में स्टेशन सं. 35, 25°11'52.062"उ 90°38'24.073"पू में स्टेशन सं.36, 25°11'52.564"उ 90°38'25.054"पू में स्टेशन सं.37 की ओर जाती है, इसके बाद 25°11'52.534"उ 90°38'25.973"पू, में स्टेशन सं. 38 25°11'51.795"उ 90°38'27.064"पू में स्टेशन सं. 39 से 25°11'50.539"उ 90°38'30.229"पू में स्टेशन सं.40 सड़क के मध्य से 15 मीटर निजी जीप ऐबल सड़क के साथ दक्षिण–पूर्वी दिशा की ओर जाती है ओर इसके बाद 25°11'50.539"उ 90°38'30.229"पू में स्टेशन सं. 40 से यह 25°11'48.733"उ 90°38'32.974"पू में स्टेशन सं.41, 25°11'48.454"उ 90°38'33.926"पू में स्टेशन सं.42, 25°11'47.428"उ 90°38'36.124"पू में स्टेशन सं.43, 25°11'47.771"उ 90°38'37.383"पू में स्टेशन सं.44, 25°11'44.604"उ 90°38'38.313"पू में स्टेशन सं.45, इसके बाद 25°11'45.011"उ 90°38'40.816"पू में स्टेशन सं. 46 से पूर्व की ओर 25°11'44.748"उ 90°38'42.342"पू में स्टेशन सं.47,25°11'45.218"उ 90°38'43.358"पू में स्टेशन सं. 48 तक बाघमारा आरएफ सीमा से होते हुए जाती है।

पूर्व: यह बाघमारा आर एफ सीमा के साथ उत्तर की 25°11'45.218"उ 90°38'43.358"पू में स्टेशन सं. 48 से 25°11'47.183"उ 90°38'43.261"पू में स्टेशन सं. 49 तक आरंभ होती है। इसके बाद 25°11'47.183"उ 90°38'43.261"पू में स्टेशन सं. 49 से इसके बाद 25°11'53.898"उ 90°38'33.277"पू में स्टेशन सं. 50 और 25°11'56.444"उ 90°38'29.270"पू में 51 पुराना एस पी कार्यालय के उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर एन एच-217 बाघमारा बाजार सड़क के साथ सड़क के मध्य से 30 मीटर जाती है।

पश्चिम: यह एन एच-217 (बाघमारा-तूरा) सड़क और ब्लॉक सड़क के जंक्शन में 25°11'52.380"उ 90°37'53.457"पू में स्टेशन सं. 13 से आरंभ होती है, इसके बाद यह 25°11'51.671"उ 90°37'54.514"पू में स्टेशन सं.14 के दक्षिण की ओर 25°11'49.972"उ 90°37'54.365"पू में स्टेशन सं.15, 25°11'45.060"उ 90°37'54.107"पू में स्टेशन सं.16 और इसके बाद 25°11'42.719"उ 90°37'55.955"पू में स्टेशन सं. 17 के दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर ब्लॉक सड़क के साथ सड़क के मध्य से 15 मीटर जाती है।

अनुलग्नक- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र

अनुलग्नक- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

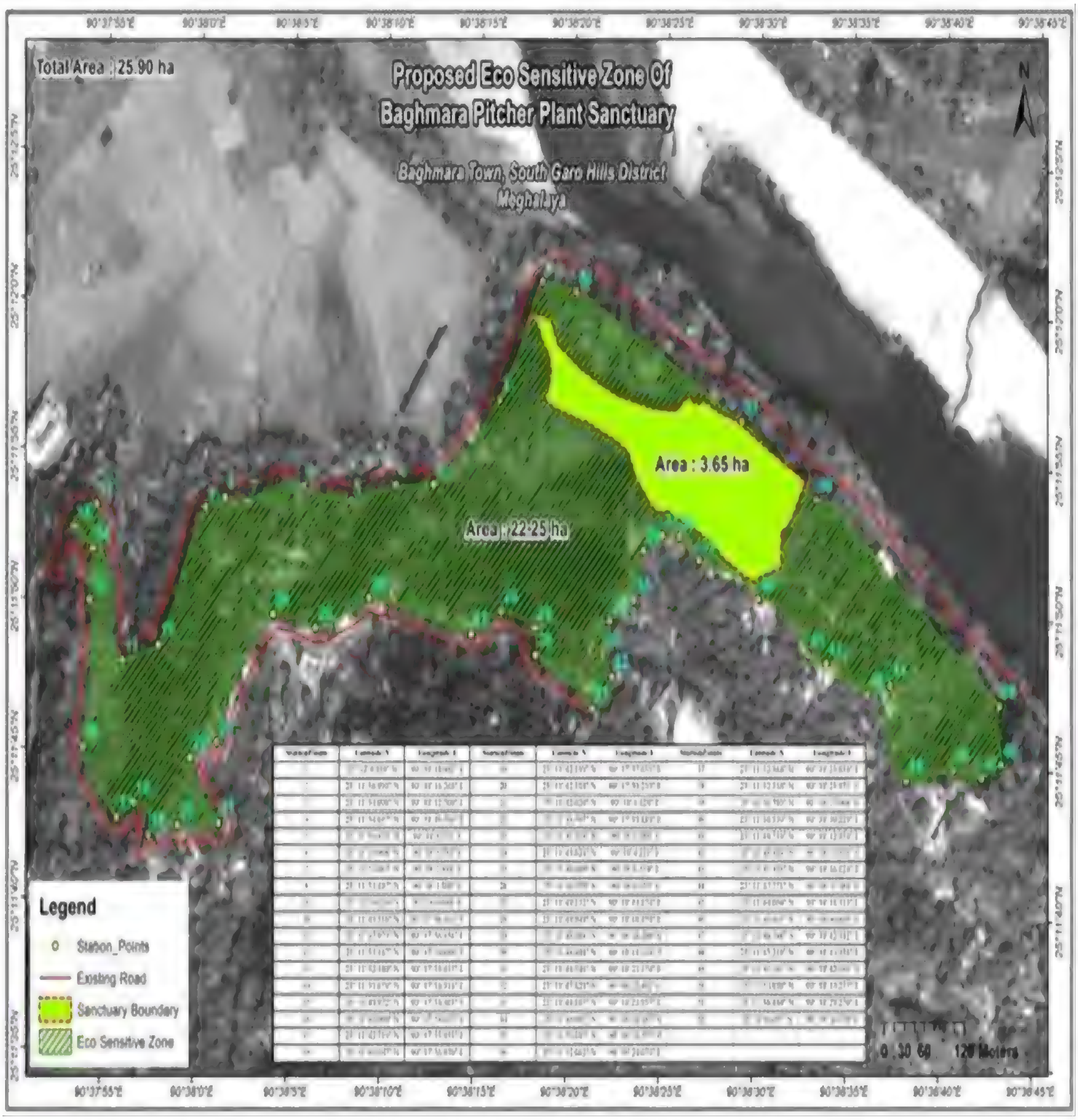

अनुलग्नक-III

सारणी क: बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	स्टेशन सं.	जी.पी.एस अवस्थान	स्थायी अवसंरचना
1.	स्टेशन 1	25°11'58.91"उ90°38'19.13"पू	कच्चे घर से 20 मीटर दूरी
2.	स्टेशन 2	25°11'59.88"उ90°38'18.37"पू	
3.	स्टेशन 3	25°11'59.80"उ90°38'18.26"पू	
4.	स्टेशन 4	25°11'59.45"उ90°38'18.16"पू	
5.	स्टेशन 5	25°11'57.65"उ90°38'18.75"पू	
6.	स्टेशन 6	25°11'57.18"उ90°38'18.81"पू	
7.	स्टेशन 7	25°11'56.95"उ90°38'19.04"पू	
8.	स्टेशन 8	25°11'56.28"उ90°38'21.42"पू	
9.	स्टेशन 9	25°11'55.62"उ90°38'22.74"पू	
10.	स्टेशन 10	25°11'54.76"उ90°38'23.49"पू	
11.	स्टेशन 11	25°11'53.50"उ90°38'24.77"पू	पर्यटन लॉज
12.	स्टेशन 12	25°11'52.87"उ90°38'26.98"पू	
13.	स्टेशन 13	25°11'51.41"उ90°38'29.64"पू	
14.	स्टेशन 14	25°11'51.49"उ90°38'30.71"पू	
15.	स्टेशन 15	25°11'51.77"उ90°38'31.22"पू	
16.	स्टेशन 16	25°11'52.28"उ90°38'31.29"पू	
17.	स्टेशन 17	25°11'53.30"उ90°38'31.97"पू	
18.	स्टेशन 18	25°11'53.69"उ90°38'32.43"पू	
19.	स्टेशन 19	25°11'54.21"उ90°38'32.55"पू	
20.	स्टेशन 20	25°11'54.54"उ90°38'32.38"पू	
21.	स्टेशन 21	25°11'54.50"उ90°38'32.21"पू	
22.	स्टेशन 22	25°11'55.31"उ90°38'31.60"पू	कच्चा घर
23.	स्टेशन 23	25°11'55.31"उ90°38'31.31"पू	
24.	स्टेशन 24	25°11'55.67"उ90°38'30.51"पू	
25.	स्टेशन 25	25°11'56.29"उ90°38'29.25"पू	
26.	स्टेशन 26	25°11'56.58"उ90°38'28.16"पू	
27.	स्टेशन 27	25°11'56.89"उ90°38'27.76"पू	असम प्रकार के घर

28.	स्टेशन 28	25°11'56.80"उ90°38'27.59"पू	
29.	स्टेशन 29	25°11'57.03"उ90°38'25.25"पू	
30.	स्टेशन 30	25°11'56.88"उ90°38'24.29"पू	विविंग स्कूल
31.	स्टेशन 31	25°11'56.80"उ90°38'23.82"पू	
32.	स्टेशन 32	25°11'57.33"उ90°38'21.92"पू	
33.	स्टेशन 33	25°11'57.64"उ90°38'21.55"पू	
34.	स्टेशन 34	25°11'58.06"उ90°38'20.80"पू	
35.	स्टेशन 35	25°11'58.57"उ90°38'19.49"पू	कच्चा घर

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	स्टेशन सं.	जी.पी.एस अवस्थान	स्थायी अवसंरचना
1.	स्टेशन 1	25°12'00.939"उ 90°38'18.482"पू	प्रतीक्षा शेड
2.	स्टेशन 2	25°11'56.991"उ 90°38'16.268"पू	कार गैराज
3.	स्टेशन 3	25°11'54.098"उ 90°38'12.760"पू	
4.	स्टेशन 4	25°11'54.037"उ 90°38'10.761"पू	निजी इमारत
5.	स्टेशन 5	25°11'53.471"उ 90°38'08.351"पू	
6.	स्टेशन 6	25°11'53.908"उ 90°38'05.791"पू	
7.	स्टेशन 7	25°11'53.367"उ 90°38'02.848"पू	
8.	स्टेशन 8	25°11'53.497"उ 90°38'01.580"पू	
9.	स्टेशन 9	25°11'53.126"उ 90°38'00.548"पू	
10.	स्टेशन 10	25°11'48.516"उ 90°37'58.111"पू	निजी इमारत
11.	स्टेशन 11	25°11'47.973"उ 90°37'56.156"पू	आरसीसी पुल
12.	स्टेशन 12	25°11'53.147"उ 90°37'54.689"पू	
13.	स्टेशन 13	25°11'52.380"उ 90°37'53.457"पू	
14.	स्टेशन 14	25°11'51.671"उ 90°37'54.514"पू	बाघमारा खंड कार्यालय
15.	स्टेशन 15	25°11'49.972"उ 90°37'54.365"पू	खंड कार्यालय स्थान
16.	स्टेशन 16	25°11'45.060"उ 90°37'54.107"पू	
17.	स्टेशन 17	25°11'42.719"उ 90°37'55.955"पू	
18.	स्टेशन 18	25°11'43.247"उ 90°37'56.870"पू	
19.	स्टेशन 19	25°11'42.199"उ 90°37'57.651"पू	
20.	स्टेशन 20	25°11'42.518"उ 90°37'59.233"पू	
21.	स्टेशन 21	25°11'42.620"उ 90°38'01.424"पू	
22.	स्टेशन 22	25°11'44.787"उ 90°37'59.889"पू	
23.	स्टेशन 23	25°11'45.324"उ 90°38'01.288"पू	निजी कच्चा घर

24.	स्टेशन 24	25°11'49.624"उ 90°38'04.221"पू	एमईपीडीसीएल कार्यालय
25.	स्टेशन 25	25°11'49.209"उ 90°38'06.519"पू	सात दिवसीय सुविधा स्कूल (मॉउंट वेल)
26.	स्टेशन 26	25°11'50.259"उ 90°38'09.353"पू	निजी इमारत
27.	स्टेशन 27	25°11'49.132"उ 90°38'14.874"पू	
28.	स्टेशन 28	25°11'49.949"उ 90°38'16.474"पू	निजी इमारत
29.	स्टेशन 29	25°11'49.384"उ 90°38'18.290"पू	
30.	स्टेशन 30	25°11'48.494"उ 90°38'18.334"पू	
31.	स्टेशन 31	25°11'46.746"उ 90°38'21.379"पू	
32.	स्टेशन 32	25°11'47.828"उ 90°38'22.432"पू	
33.	स्टेशन 33	25°11'48.587"उ 90°38'21.957"पू	
34.	स्टेशन 34	25°11'49.692"उ 90°38'22.287"पू	
35.	स्टेशन 35	25°11'50.381"उ 90°38'23.557"पू	
36.	स्टेशन 36	25°11'52.062"उ 90°38'24.073"पू	
37.	स्टेशन 37	25°11'52.564"उ 90°38'25.054"पू	
38.	स्टेशन 38	25°11'52.534"उ 90°38'25.973"पू	
39.	स्टेशन 39	25°11'51.795"उ 90°38'27.064"पू	
40.	स्टेशन 40	25°11'50.539"उ 90°38'30.229"पू	निजी इमारत
41.	स्टेशन 41	25°11'48.733"उ 90°38'32.974"पू	
42.	स्टेशन 42	25°11'48.454"उ 90°38'33.926"पू	निजी इमारत
43.	स्टेशन 43	25°11'47.428"उ 90°38'36.124"पू	
44.	स्टेशन 44	25°11'47.771"उ 90°38'37.383"पू	निजी कच्चा घर
45.	स्टेशन 45	25°11'44.604"उ 90°38'38.313"पू	
46.	स्टेशन 46	25°11'45.011"उ 90°38'40.816"पू	बाघमारा बीओपी के बीएसएफ का आवास
47.	स्टेशन 47	25°11'44.748"उ 90°38'42.342"पू	
48.	स्टेशन 48	25°11'45.218"उ 90°38'43.358"पू	
49.	स्टेशन 49	25°11'47.183"उ 90°38'43.261"पू	क्षेत्रीय श्रेणी कार्यालय कॉम्पलेक्स
50.	स्टेशन 50	25°11'53.898"उ 90°38'33.277"पू	
51.	स्टेशन 51	25°11'56.444"उ 90°38'29.270"पू	पुराना एस पी कार्यालय इमारत
52.	स्टेशन 52	25°12'00.655"उ 90°38'20.270"पू	मोटर स्पेयर पार्ट्स की दुकान

अनुलग्रक-IV

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र - पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्रक में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण अनुलग्रक के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्रक के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्रक के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

S.O. 2408(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Baghmara Pitcher Plant Sanctuary is situated in South Garo Hills district of Meghalaya and located within the Baghmara Town area covering an area of 0.027 square kilometres. The Sanctuary is named after the location of the Sanctuary and the Pitcher plant (*Nepenthes khasiana)* a rare insectivorous plant which is being protected and conserved in the Sanctuary. The area is declared as a Sanctuary in 1984 *vides* Govt. of Meghalaya Notification No. FOR 79/84/5 dated 24th May 1984. The

Sanctuary is lies within 25'11.00" N and 90.38.00 E" and is bounded by the Public Work Department (PWD) Road and weaving school compound for a distance of approximately 450 metres in the North, and in the Eastern side it is bounded by the Baghmara Police Station for approximately 135 metres. The Southern side is bounded by the Catholic Mission Compound for approximately 373 metres;

AND WHEREAS, the flora and fauna of the Baghmara Pitcher Plant Sanctuary represent rich biological significance and the area is very rich in Pitcher Plant (*Nepenthes khasiana*) species which are of ecological and medicinal significance. Besides, pitcher plant, many endemic flora and fauna are found in the Sanctuary. In fact, the area has high level of endemism and the Pitcher Plant (*Nepenthes khasiana*) and *Drosera* spp, etc. are endemic species; major flora of the Sanctuary are nahar (*Mesua ferrea),* spike oak (*Lithorcarpus elegans),* siris tree (*Albizia stipulata),* artaki (*Terminalia chebula),* odal (*Sterculia villosa),* kum (*Carrya arborea),* dutkuri (*Wrightia tomentosa),* jarul (*Lagerstroemia parviflora),* varuna (*Crateva nurvala),* lakoocha (*Artocarpus lacucha),* wild jam (*Syzygium spp),* akhataru (*Sapium baccatum),* devil tree (*Alstonia scholaris),* paroli (*Stereopermumchelenoides),* bohera (*Terminalia belarica),* drooping fig (*Ficus cunia),* microcos (*Microcos paniculata),* java plum (*Syzygium cumini),* arani (*Premna latifolia),* large leaf rosemallow (*Hibicus macrophyllus),* macaranga (*Macaranga tanarius),* ficus spp. (*Ficus benjamina),* schizostachium spp. (*Schizostachium dullooa),* sal tree (*Sorea robusta),* toona (*Toona ciliata),* chaplasa (*Artocarpus chaplasa),* duabanga (*Duabanga gradiflora),* gia poma (*Lanea grandis),* amloki (*Aphyllanthus emblica),* dimiri tree (*Ficus racemosa),* cadam (*Anthocephalus cadamba),* oxi (*Dilenia pentagyna),* muga tree (*Litsea polyenta),* kimbal (*Calicarpa arborea),* rata (*Amoora walichii),* coromandel (*Garcinia cowa),* batgila (*Oroxylum indicum),* etc;

AND WHEREAS, the Baghmara Pitcher Plant Sanctuary is also having species diversity from mammals viz. large brown flying squirrel (*Petaurista phillipensis),* hedge hog (*Hemiechinus auritus),* leopard cat (*Felis begalensis),* pangolin (*Manis crassicaudata),* slow loris (*Nycticebus cauceang),* Assamese macaque (*Macaca assamensis),* rhesus macaque (*Macaca mulata),* small Indian civet (*Viverricula indica),* Asiatic brush tailed porcupine (*Atherurus macrourus*), common otter (*Lutra lutra),* Large Indian civet (*Viverra zibetha),* Malayan giant squirrel (*Ratufa bicolour),* etc;

AND WHEREAS, the Baghmara Pitcher Plant Sanctuary is also a habitat for varieties of bird species as the India ring dove (*Streptopelia clinensia),* spotted dove (*Streptopelia decaocto),* common teal (*Anas crecca),* wood pecker (*Picidae),* pigeon duck (*Anas penelop),* Baer's pochard (*Aythya baeri),* common kingfisher (*Alcedo atthis),* crested serpent eagle (*Spilornis cheelad),* hill myna (*Gracula religiosa),* red crested bulbul (*Pycnonotus jocosus),* greater racket tailed drongo (*Dicrurus paradiseus),* purple wood pigeon (*Culumba puniceus),* hoopoe (*Upupa* spp.*),* black crested bulbul (*Pycnontus gularis),* etc. while major reptiles available in the Sanctuary includes yellow monitor lizard (*Varanus flavescenes),* bengal monitor lizard (*Varanus bengnalensis),* water lizard (*Varanus salvator),* king cobra (*Ophiphagus hanna),* banded Krait (*Bungarus fasciatus),* green vipers (*Trimeresurs gramineus),* common krait (*Bungarus caerulens),* rat snake (*Ptyas mucosa),* common worm snake or blind snake (*Typholops braminus),* Diard's blind snake (*Typholops diadir),* gecko (*Gecko gecko),* blind snake (*Typholops braminus),* etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Baghmara Pitcher Plant Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.2 metres to 857 metres around the boundary of Baghmara Pitcher Plant Sanctuary, in South Garo

Hills in the State of Meghalaya as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of the Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0.2 metres to 857 metres around the boundary of Baghmara Pitcher Plant Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 0.2225 square kilometres. The minimum extent of Eco-sensitive Zone was justified by the State Government that 'the Sanctuary is located in the heart of Baghmara Town, it is surrounded by human habitations and horticultural plantations and therefore, there is hardly any area for establishment of Eco-sensitive Zone around the Sanctuary'.

(2) The boundary description of Baghmara Pitcher Plant Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Baghmara Pitcher Plant Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Baghmara Pitcher Plant Sanctuary and the Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) There is no village falling in the Eco-sensitive Zone of Baghmara Pitcher Plant Sanctuary.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture; and

(viii) Meghalaya State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-Medical Waste.–** Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management**.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.–** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	**Activity (2)**	**Description (3)**
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.

3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Use of polythene bags by shop keepers.	Prohibited.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.

13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.

29.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	The Conservator of Forests (Territorial and Wild Life), Garo Hills Region, Tura	Chairman, *ex officio;*
(ii)	The Chief Forest Officer, Garo Hills Autonomous District Council (GHADC)	Member;
(iii)	A representative from the Revenue Department, Garo Hills District concerned	Member;
(iv)	A representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Meghalaya for a term of one year in each case	Member;
(v)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Meghalaya for a term of one year in each case	Member;
(vi)	The Executive Engineer, Meghalaya Pollution Control Board	Member;
(vii)	The Director, Balpakram National park, Baghmara	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(1) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in

the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure IV.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/12/2020-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF BAGHMARA PITCHER PLANT SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE MEGHALAYA

North : Along the boundary of PWD and weaving school compound for a distance of approximately 450 meters.

East : Along the boundary of Baghmara Police Station for approximately 135 m length.

West : Demarcated line approximately 95 m.

South : Along the boundary of Catholic Mission Compound approximately 373 m.

North: The northern boundary of the Pitcher Plant Sanctuary starts from station No. 20 at 25°11'54.54"N 90°38'32.38"E 20 meter from the middle of the Bazar road and it run towards north along the brick wall through station No. 21 at 25°11'54.50"N 90°38'32.21"E, station No. 22 at 25°11'55.31"N 90°38'31.60"E, near kutcha house station No. 23 at 25°11'55.31"N 90°38'31.31"E, station No. 24 at 25°11'55.67"N 90°38'30.51"E, station No. 25 at 25°11'56.29"N 90°38'29.25"E, station No. 26 at 25°11'56.58"N 90°38'28.16"E, station No. 27 at 25°11'56.89"N 90°38'27.76"E, near Assam type house then station No. 28 at 25°11'56.80"N 90°38'27.59"E, station No. 29 at 25°11'57.03"N 90°38'25.25"E up to station No. 30 at 25°11'56.88"N 90°38'24.29"E main gate near weaving School then along the brick wall through station No. 31 at 25°11'56.80"N 90°38'23.82"E, station No. 32 at 25°11'57.33"N 90°38'21.92"E, station No. 33 at 25°11'57.64"N 90°38'21.55"E, station No. 34 at 25°11'58.06"N 90°38'20.80"E, station No. 35 at 25°11'58.57"N 90°38'19.49"E, near kutcha house and meet at station No. 01 at 25°11'58.91"N 90°38'19.13"E, 20 meter distance from the kutcha house up to station No. 02 at 25°11'59.88"N 90°38'18.37"E.

South: It starts from station No. 07 at 25°11'56.95"N 90°38'19.04"E it run along the existing boundary barbed wire fencing through station No. 08 at 25°11'56.28"N 90°38'21.42"E, station No. 09 at 25°11'55.62"N 90°38'22.74"E, station No. 10 at 25°11'54.76"N 90°38'23.49"E up to station No. 11 at 25°11'53.50"N 90°38'24.77"E near Tourist IB then it run down along the brick wall through station No. 12 at 25°11'52.87"N 90°38'26.98"E, station No. 13 at 25°11'51.41"N 90°38'29.64"E up to retaining wall and meet at station No. 14 at 25°11'51.49"N 90°38'30.71"E.

East: It start from station No. 14 at 25°11'51.49"N 90°38'30.71"E retaining wall and it run down along the barbed wire fencing existing boundary through station No. 15 at 25°11'51.77"N 90°38'31.22"E, station No. 16 at 25°11'52.28"N 90°38'31.29"E, station No. 17 at 25°11'53.30"N 90°38'31.97"E, station No. 18 at 25°11'53.69"N 90°38'32.43"E, station No. 19 at 25°11'54.21"N 90°38'32.55"E and meet at station No. 20 at 25°11'54.54"N 90°38'32.38"E.

West: It start from station No. 02 at 25°11'59.88"N 90°38'18.37"E it run up along the existing boundary through station No. 03 at 25°11'59.80"N 90°38'18.26"E, station No. 04 at 25°11'59.45"N

90°38'18.16"E, station No. 05 at 25°11'57.65"N 90°38'18.75"E, station No. 06 at 25°11'57.18"N 90°38'18.81"E and meet at station No. 07 at 25°11'56.95"N 90°38'19.04"E.

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BAGHMARA PITCHER PLANT SANCTUARY IN THE STATE MEGHALAYA

North: It starts near the old SP Office about 30 meters from the middle of the road and run along the boundary of NH-217, Baghmara Bazar road up to the tri-junction of Baghmara Bazar Baghmara Tura and Baghmara Dudnoi road . Then it runs along the NH-217 Baghmara –Tura road up to the junction of Baghmara Tura and Block road.

East: From near the old S.P Office it follows the Baghmara Bazar road towards Bazar 30 meters from the middle of NH- 217 Baghmara Bazar road up to BSF Camp and then from there it follows the Baghmara R.F boundary towards West up to about 20 meters.

South: From point No. 48 it runs towards West along the existing boundary of Baghmara R.F about **664 meters** up to the boundary of Tourist lodge and then along Tourist road 15 meters from the middle of the road for about **192 meters** and then along Roman Catholic road for about **1,056 meters.**

West: From station No. 17 it run along the R.C road for about **15 meters** and Block road then Junction of NH-217 and Block road about **343 meters**.

NORTH : The northern boundary of the proposed Eco- Sensitive Zone starts from station No. 51 at 25°11'56.444"N 90°38'29.270"E near old SP Office and then 30 meter from the middle of the road it runs towards north –westerly direction along the NH- 217 Baghmara Bazar Road to station No. 52 at 25°12'00.655"N 90°38'20.270"E near Automobile shop to station No. 1 at 25°12'00.939"N 90°38'18.482"E near waiting shed and then 30 meter from the middle of the road it runs towards south-westerly direction along the NH 217 Baghmara Tura road to station No. 2 at 25°11'56.991"N 90°38'16.268"E, then to Station No.3 at 25°11'54.098"N 90°38'12.760"E, then towards west to station No. 4 at 25°11'54.037"N 90°38'10.761"E, station No. 5 at 25°11'53.471"N 90°38'8.351"E, station No. 6 at 25°11'53.908"N 90°38'05.791"E, station No.7 at 25°11'53.367"N 90°38'02.848"E, station No.8 at 25°11'53.497"N 90°38'01.580"E, Station No. 9 at 25°11'53.126"N 90°38'00.548"E, then towards south-westerly direction up to station No. 10 at 25°11'48.516"N 90°37'58.111"E, station No. 11 at 25°11'47.973"N 90°37'56.156"E, then towards north to station No. 12 at 25°11'53.147"N 90°37'54.689"E and then towards south-westerly direction to station No. 13 at 25°11'52.380"N 90°37'53.457"E at the junction of NH-217 and C.D Block road.

SOUTH : It starts from station No. 17 at 25°11'42.719"N 90°37'55.955"E and at 15 meters from the middle of the road it runs along the R.C compound road towards north – easterly direction to station No. 18 at 25°11'43.247"N 90°37'56.870"E, then towards south to station 19 at 25°11'42.199"N 90°37'57.651"E, then towards east to station 20 at 25°11'42.518"N 90°37'59.233"E, station 21 at 25°11'42.620"N 90°38'01.424"E, then towards north to station 22 at 25°11'44.787"N 90°37'59.889"E, station 23 at 25°11'45.324"N 90°38'01.288"E, station 24 at

25°11'49.624"N 90°38'04.221"E, then towards easterly direction to station 25 at 25°11'49.209"N 90°38'06.519"E, station 26 at 25°11'50.259"N 90°38'09.353"E, station 27 at 25°11'49.132"N 90°38'14.874"E, station 28 at 25°11'49.949"N 90°38'16.474"E, station 29 at 25°11'49.384"N 90°38'18.290"E, then towards south to station No. 30 at 25°11'48.494"N 90°38'18.334"E and then towards south-easterly direction to station No. 31 at 25°11'46.746"N 90°38'21.379"E, then towards north-easterly direction along the same road from station No. 31 to station No 32 at 25°11'47.828"N 90°38'22.432"E, station No. 33 at 25°11'48.587"N 90°38'21.957"E, station No. 34 at 25°11'49.692"N 90°38'22.287"E, to station No 35 at 25°11'50.381"N 90°38'23.557"E, it runs 15 meter from the middle of along Tourism road and then station No. 35 at 25°11'50.381"N 90°38'23.557"E, station No. 36 at 25°11'52.062"N 90°38'24.073"E, station No. 37 at 25°11'52.564"N 90°38'25.054"E, then towards south-easterly direction to station No. 38 at 25°11'52.534"N 90°38'25.973"E, station No. 39 at 25°11'51.795"N 90°38'27.064"E to station No. 40 at 25°11'50.539"N 90°38'30.229"E along private jeep-able road 15 meter from the middle of the road and then from station No.40 at 25°11'50.539"N 90°38'30.229"E it runs through Baghmara RF boundary station No. 41 at 25°11'48.733"N 90°38'32.974"E,station No. 42 at 25°11'48.454"N 90°38'33.926"E, station No. 43 at 25°11'47.428"N 90°38'36.124"E, station No. 44 at 25°11'47.771"N 90°38'37.383"E, station No. 45 at 25°11'44.604"N 90°38'38.313"E, then towards east to station No. 46 at 25°11'45.011"N 90°38'40.816"E, station No. 47 at 25°11'44.748"N 90°38'42.342"E, up to station No. 48 at 25°11'45.218"N 90°38'43.358"E.

EAST : It starts from station No. 48 at 25°11'45.218"N 90°38'43.358"E towards north to station No. 49 at 25°11'47.183"N 90°38'43.261"E along Baghmara RF boundary. Then from station No. 49 at 25°11'47.183"N 90°38'43.261"E then 30 meter from the middle of the road along NH 217 Baghmara Bazar road towards north-westerly direction to station No. 50 at 25°11'53.898"N 90°38'33.277"E and 51 at 25°11'56.444"N 90°38'29.270"E old SP Office.

WEST : It starts from station No. 13 at 25°11'52.380"N 90°37'53.457"E at the junction of NH-217 (Baghmara- Tura) road and Block road, thereafter it runs 15 meter from the middle of the road along Block road towards south to station No. 14 at 25°11'51.671"N 90°37'54.514"E, station No. 15 at 25°11'49.972"N 90°37'54.365"E, station No. 16 at 25°11'45.060"N 90°37'54.107"E, and then towards south easterly direction to station No. 17 at 25°11'42.719"N 90°37'55.955"E.

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BAGHMARA PITCHER PLANT SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BAGHMARA PITCHER PLANT SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

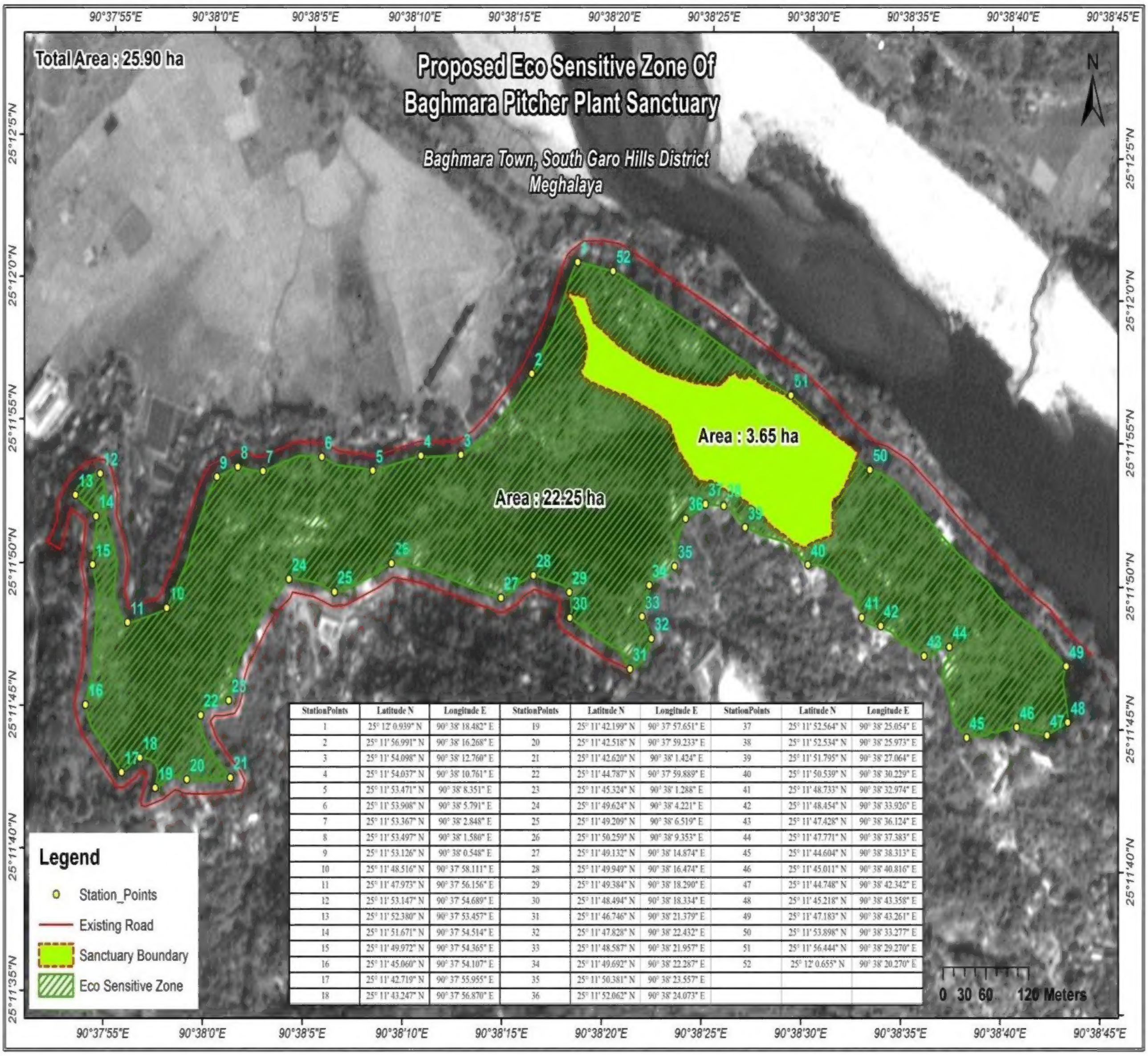

StationPoints	Latitude N	Longitude E	StationPoints	Latitude N	Longitude E	StationPoints	Latitude N	Longitude E
1	25° 12' 0.939" N	90° 38' 18.482" E	19	25° 11' 42.199" N	90° 37' 57.651" E	37	25° 11' 52.564" N	90° 38' 25.054" E
2	25° 11' 56.991" N	90° 38' 16.268" E	20	25° 11' 42.518" N	90° 37' 59.233" E	38	25° 11' 52.534" N	90° 38' 25.973" E
3	25° 11' 54.098" N	90° 38' 12.760" E	21	25° 11' 42.620" N	90° 38' 1.424" E	39	25° 11' 51.795" N	90° 38' 27.064" E
4	25° 11' 54.037" N	90° 38' 10.761" E	22	25° 11' 44.787" N	90° 37' 59.889" E	40	25° 11' 50.539" N	90° 38' 30.229" E
5	25° 11' 53.471" N	90° 38' 8.351" E	23	25° 11' 45.324" N	90° 38' 1.288" E	41	25° 11' 48.733" N	90° 38' 32.974" E
6	25° 11' 53.908" N	90° 38' 5.791" E	24	25° 11' 49.624" N	90° 38' 4.221" E	42	25° 11' 48.454" N	90° 38' 33.926" E
7	25° 11' 53.367" N	90° 38' 2.848" E	25	25° 11' 49.209" N	90° 38' 6.519" E	43	25° 11' 47.428" N	90° 38' 36.124" E
8	25° 11' 53.497" N	90° 38' 1.580" E	26	25° 11' 50.259" N	90° 38' 9.353" E	44	25° 11' 47.771" N	90° 38' 37.383" E
9	25° 11' 53.126" N	90° 38' 0.548" E	27	25° 11' 49.132" N	90° 38' 14.874" E	45	25° 11' 44.604" N	90° 38' 38.313" E
10	25° 11' 48.516" N	90° 37' 58.111" E	28	25° 11' 49.949" N	90° 38' 16.474" E	46	25° 11' 45.011" N	90° 38' 40.816" E
11	25° 11' 47.973" N	90° 37' 56.156" E	29	25° 11' 49.384" N	90° 38' 18.290" E	47	25° 11' 44.748" N	90° 38' 42.342" E
12	25° 11' 53.147" N	90° 37' 54.689" E	30	25° 11' 48.494" N	90° 38' 18.334" E	48	25° 11' 45.218" N	90° 38' 43.358" E
13	25° 11' 52.380" N	90° 37' 53.457" E	31	25° 11' 46.746" N	90° 38' 21.379" E	49	25° 11' 47.183" N	90° 38' 43.261" E
14	25° 11' 51.671" N	90° 37' 54.514" E	32	25° 11' 47.828" N	90° 38' 22.432" E	50	25° 11' 53.898" N	90° 38' 33.277" E
15	25° 11' 49.972" N	90° 37' 54.365" E	33	25° 11' 48.587" N	90° 38' 21.957" E	51	25° 11' 56.444" N	90° 38' 29.270" E
16	25° 11' 45.060" N	90° 37' 54.107" E	34	25° 11' 49.692" N	90° 38' 22.287" E	52	25° 12' 0.655" N	90° 38' 20.270" E
17	25° 11' 42.719" N	90° 37' 55.955" E	35	25° 11' 50.381" N	90° 38' 23.557" E			
18	25° 11' 43.247" N	90° 37' 56.870" E	36	25° 11' 52.062" N	90° 38' 24.073" E			

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF BAGHMARA PITCHER PLANT SANCTUARY

Sl No.	Station No.	GPS Location	Permanent Infrastructure
1.	Station 1	25°11'58.91"N 90°38'19.13"E	20 metres distance from the Kutcha house
2.	Station 2	25°11'59.88"N 90°38'18.37"E	
3.	Station 3	25°11'59.80"N 90°38'18.26"E	
4.	Station 4	25°11'59.45"N 90°38'18.16"E	
5.	Station 5	25°11'57.65"N 90°38'18.75"E	
6.	Station 6	25°11'57.18"N 90°38'18.81"E	
7.	Station 7	25°11'56.95"N 90°38'19.04"E	
8.	Station 8	25°11'56.28"N90°38'21.42"E	
9.	Station 9	25°11'55.62"N 90°38'22.74"E	
10.	Station 10	25°11'54.76"N 90°38'23.49"E	
11.	Station 11	25°11'53.50"N 90°38'24.77"E	Tourist Lodge
12.	Station 12	25°11'52.87"N90°38'26.98"E	
13.	Station 13	25°11'51.41"N 90°38'29.64"E	
14.	Station 14	25°11'51.49"N 90°38'30.71"E	
15.	Station 15	25°11'51.77"N90°38'31.22"E	
16.	Station 16	25°11'52.28"N 90°38'31.29"E	
17.	Station 17	25°11'53.30"N 90°38'31.97"E	
18.	Station 18	25°11'53.69"N 90°38'32.43"E	
19.	Station 19	25°11'54.21"N 90°38'32.55"E	
20.	Station 20	25°11'54.54"N 90°38'32.38"E	
21.	Station 21	25°11'54.50"N 90°38'32.21"E	
22.	Station 22	25°11'55.31"N 90°38'31.60"E	Kutcha House
23.	Station 23	25°11'55.31"N 90°38'31.31"E	
24.	Station 24	25°11'55.67"N 90°38'30.51"E	
25.	Station 25	25°11'56.29"N 90°38'29.25"E	
26.	Station 26	25°11'56.58"N 90°38'28.16"E	
27.	Station 27	25°11'56.89"N 90°38'27.76"E	Assam Type House
28.	Station 28	25°11'56.80"N 90°38'27.59"E	
29.	Station 29	25°11'57.03"N 90°38'25.25"E	
30.	Station 30	25°11'56.88"N 90°38'24.29"E	Weaving School
31.	Station 31	25°11'56.80"N 90°38'23.82"E	
32.	Station 32	25°11'57.33"N 90°38'21.92"E	
33.	Station 33	25°11'57.64"N90°38'21.55"E	
34.	Station 34	25°11'58.06"N 90°38'20.80"E	
35.	Station 35	25°11'58.57"N 90°38'19.49"E	Kutcha House

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl No.	Station No.	GPS Location	Permanent Infrastructure
1.	Station 1	25°12'00.939"N 90°38'18.482"E	Waiting shed
2.	Station 2	25°11'56.991"N 90°38'16.268"E	Auto mobile garage
3.	Station 3	25°11'54.098"N 90°38'12.760"E	
4.	Station 4	25°11'54.037"N 90°38'10.761"E	Private building
5.	Station 5	25°11'53.471"N 90°38'08.351"E	
6.	Station 6	25°11'53.908"N 90°38'05.791"E	
7.	Station 7	25°11'53.367"N 90°38'02.848"E	
8.	Station 8	25°11'53.497"N 90°38'01.580"E	

9.	Station 9	25°11'53.126"N 90°38'00.548"E	
10.	Station 10	25°11'48.516"N 90°37'58.111"E	Private building
11.	Station 11	25°11'47.973"N 90°37'56.156"E	RCC bridge
12.	Station 12	25°11'53.147"N 90°37'54.689"E	
13.	Station 13	25°11'52.380"N 90°37'53.457"E	
14.	Station 14	25°11'51.671"N 90°37'54.514"E	Baghmara Block Office
15.	Station 15	25°11'49.972"N 90°37'54.365"E	Block Office quarter
16.	Station 16	25°11'45.060"N 90°37'54.107"E	
17.	Station 17	25°11'42.719"N 90°37'55.955"E	
18.	Station 18	25°11'43.247"N 90°37'56.870"E	
19.	Station 19	25°11'42.199"N 90°37'57.651"E	
20.	Station 20	25°11'42.518"N 90°37'59.233"E	
21.	Station 21	25°11'42.620"N 90°38'01.424"E	
22.	Station 22	25°11'44.787"N 90°37'59.889"E	
23.	Station 23	25°11'45.324"N 90°38'01.288"E	Private kutcha house
24.	Station 24	25°11'49.624"N 90°38'04.221"E	MePDcl Office.
25.	Station 25	25°11'49.209"N 90°38'06.519"E	Seven Day Advantage School (Mount veil)
26.	Station 26	25°11'50.259"N 90°38'09.353"E	Private Building
27.	Station 27	25°11'49.132"N 90°38'14.874"E	
28.	Station 28	25°11'49.949"N 90°38'16.474"E	Private Building
29.	Station 29	25°11'49.384"N 90°38'18.290"E	
30.	Station 30	25°11'48.494"N 90°38'18.334"E	
31.	Station 31	25°11'46.746"N 90°38'21.379"E	
32.	Station 32	25°11'47.828"N 90°38'22.432"E	
33.	Station 33	25°11'48.587"N 90°38'21.957"E	
34.	Station 34	25°11'49.692"N 90°38'22.287"E	
35.	Station 35	25°11'50.381"N 90°38'23.557"E	
36.	Station 36	25°11'52.062"N 90°38'24.073"E	
37.	Station 37	25°11'52.564"N 90°38'25.054"E	
38.	Station 38	25°11'52.534"N 90°38'25.973"E	
39.	Station 39	25°11'51.795"N 90°38'27.064"E	
40.	Station 40	25°11'50.539"N 90°38'30.229"E	Private Building
41.	Station 41	25°11'48.733"N 90°38'32.974"E	
42.	Station 42	25°11'48.454"N 90°38'33.926"E	Private Building
43.	Station 43	25°11'47.428"N 90°38'36.124"E	
44.	Station 44	25°11'47.771"N 90°38'37.383"E	Private kutcha house
45.	Station 45	25°11'44.604"N 90°38'38.313"E	
46.	Station 46	25°11'45.011"N 90°38'40.816"E	Resident of BSF of Baghmara BOP
47.	Station 47	25°11'44.748"N 90°38'42.342"E	
48.	Station 48	25°11'45.218"N 90°38'43.358"E	
49.	Station 49	25°11'47.183"N 90°38'43.261"E	Territorial Range Office Complex
50.	Station 50	25°11'53.898"N 90°38'33.277"E	
51.	Station 51	25°11'56.444"N 90°38'29.270"E	Old SP Office building
52.	Station 52	25°12'00.655"N 90°38'20.270"E	Motor Spare parts shop

ANNEXURE –IV

Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM